मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

पवनकुमार पुत्र बगड़ावत जाति जाट निवासी महराणा

बनाम

1. बगड़ावत s/o मनफूल
2. कमलेश
3. सुनिता
4. धापा देवी
] पुत्रिया बगड़ावत
5. गुडमाला पत्नी रामकुमार
6. हेमादेवी
7. अनु
] पुत्रिया रामकुमार
8. State TDR भादरा

दावा बाबत :— 88 R T Act

मुकदमा नम्बर :— 208/2021

निर्णय दिनांक :— 24/11/2021

वादी की ओर से वकील सुनील बेनीवाल की व प्रतिवादी सं० 1 ता 7 की ओर से वकील विजेन्द्र बेनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24/11/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक 6 MRN के खाता संख्या 50/49 के मु० नं० 61, 70, 82, 83 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 5.8190 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 बगड़ावत के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, में से वादी पवनकुमार व प्रतिवादी संख्या 1 बगड़ावत को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में त्याग कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी देय हो। यदि वाद भूमि बैंक के रहन दर्ज है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़